फिल्म “हरामखोर” में चित्रित नाबालिग यौन उत्पीड़न एवं समाज में स्त्री यौन स्वतंत्रता का अधिकार?

सतेंद्र बंसल

पीएच.डी हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

ई-2/254 मेन पुस्ता रोड पाँचवा सोनिया विहार दिल्ली 110090.

शोधसार : यौन शोषण की समस्या एवं यौन अधिकारों की स्वतंत्रता स्त्रियों के लिए संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। वहीं आज भी समाज में स्त्रियाँ यौन शोषण के विरुद्ध संघर्षरत और यौन अधिकारों की आजादी के हक से वंचित है। समाज ने हमेशा से ही स्त्रियों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा है। इन्हीं में से एक है यौनिकता का अधिकार, पितृसत्तात्मक समाज ने यौन अधिकार जैसे प्राकृतिक अधिकार को भी बड़ी चालाकी के साथ अपने नियंत्रण में रखकर उसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के अनुसार किया है। चाहे फिर वो स्त्रियों पर होने वाले यौन हिंसा के रूप में हो या फिर सामाजिक संरचना के अधीन मानसिक और भावनात्मक शोषण के रूप में हो दोनों ही स्थितियों में हनन स्त्री अधिकारों का ही होता आ रहा है।

प्राकृतिक तौर पर यौन क्रीड़ा न केवल मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है, अपितु संसार में तमाम जीव-जंतुओं के जीवन का मुख्य अंग है यौन क्रीड़ा न सिर्फ प्रजनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वरन् बौद्धिक और शैक्षिक विकास की दृष्टि से भी अनिवार्य है। इसके जीवंत उदाहरण है मनुष्य, डॉल्फिन और चिंपैंजी जोकि संसार भर में बौद्धिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये तीनों वो प्राणी है जो सिर्फ प्रजनन के उद्देश्य से यौन संबंध नहीं बनाते हैं। इसके इतर ज्यादातर जीव-जंतु प्रजनन के उद्देश्य से ही यौन संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात यौन शोषण के प्रति रोकथाम की जितनी अनिवार्यता स्त्री सुरक्षा के लहजे से ज़रूरी है, उतना ही स्त्रियों का यौन अधिकारों के प्रति स्त्रियों का नियंत्रण होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।

हम ऐसे समाज में साँस ले रहे हैं जहाँ स्त्रियों के यौन संरक्षण की चर्चा कहीं-कहीं अपवाद रूप में देखने को तो मिलती है, लेकिन समाज में यौन अधिकारों का नियंत्रण स्त्रियों के हाथ में होना, स्त्रियों का प्राकृतिक अधिकार है। यौन अधिकार के समान नियंत्रण के संबंध में लोगों की जानकारी हमेशा रिक्त रही है। ऐसे में प्रस्तुत शोध पत्र न सिर्फ यौन शोषण की समस्याओं से निज़ात पाने पर जोर देगा, अपितु स्त्री यौन अधिकारों के अहम मुद्दे को भी विस्तारित करने का प्रयास करेगा।

स्पष्टत: यौन शोषण से संरक्षण की जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक अनिवार्यता है स्त्री यौन अधिकारों की आजादी की। जिससे एक शोषण मुक्त समानता पर आधारित समाज स्थापित हो सके।

कीवर्ड्स

Sexual harassment – यौन उत्पीड़न, Touching - मार्मिक, Visualized – दृश्यांकित, Abuse - दुर्व्यवहार, Astonishing – आश्चर्यजनक, Basic – मूलभूत, Patriarchy – पितृसत्ता, Conservative – रूढ़ीवादी, Reproduction – प्रजनन।

फिल्म **“हरामखोर”** छोटे बजट और कम समय में बनी एक उपयोगी फिल्म है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि इस फिल्म ने न केवल विद्यालयीय जीवन में हो रहे बाल यौन उत्पीड़न के यथार्थ को समाज के समक्ष रखा है, अपितु प्रशासन व्यवस्था की नाकामी और व्यवसायी सिनेमा जगत के मुँह पर करारा तमाचा भी मारा है। एक तरफ फिल्म सामाजिक स्तर पर आए दिन रहे नाबालिग छात्र एवं छात्राओं के साथ होते यौन और मानसिक शोषण जैसे मार्मिक विषय को हम तक पहुँचाती है, तो वहीं दूसरी ओर सिनेमा के नैतिक मूल्यों के लगातार हो रहे हनन पर प्रकाश भी डालती चलती है।

जैसा कि हमें विदित है कि फिल्म बहुत कम समय में तैयार हो गई थी लेकिन सिनेमाघरों तक आने में फिल्म को वर्षों का समय तय करना पड़ा। बड़े ही अफ़सोस की बात है कि इतने जीवंत मुद्दे पर बनी फिल्म, जिसे लोगों तक आसानी से और निःशुल्क पहुँचना चाहिए था उसे हजारों मुश्किलो का सामना करना पड़ा, सेंसर बोर्ड का नकारात्मक रवैया न केवल फिल्म के लिए अड़चन बना बल्कि आसान शब्दों में कहें तो यौन शोषकों का पोषक भी बना।

फिल्म में एक समय (00:42:00-00:44:40) ऐसा भी आता है, जब कहने के लिए संवाद तो नहीं है लेकिन सिनेमा की स्क्रीन पर दृश्यांकित, दृश्य काफी कुछ बयान करता है। जिस क्षण शिक्षक श्याम टेकचंद वहशी भेड़िया और छात्रा संध्या खरगोश का बच्चा प्रतीत होते हैं। वो बच्चा जिसे माता-पिता द्वारा प्रेम न मिल सका, उसकी पूर्ति हेतु वो खुद ही उस भेड़िये के समकक्ष जा खड़ी हुई है। परिणामस्वरूप इसका खा ख़ामियाज़ा उसे ही भोगना पड़ता है जिसे श्याम टेकचंद के इन संवादों के माध्यम से समझा जा सकता है।
''यह मेरी साली है। इसके जो हसबैंड है, वहाँ रहते हैं दिल्ली में जॉब करते हैं। तो वह नहीं चाहते हैं कि बच्चा हो। तो जो भी ठीक सा लगे आप कर लीजिए''।{00:54:00-00:55:50}[1]
''कुछ बात करनी थी। यही कि आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे। मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का नाता होता है, उतना ही रखेंगे उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। दूसरी बात यह है कि माफी चाहता हूं। शादीशुदा आदमी हूँ, जिम्मेदार हूँ, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मतलब आप भी किसी को नहीं बोलोगे। मैं भी किसी को नहीं बोलूँगा। बाकी सौ बात की बात ये है, कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बीजगणित कमजोर है आपका। और मुझे भूल जाओ''। {00:59:10-01:00:11}[2]

भारत, बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की प्रतिक्रिया में,आउट ऑफ द शैडो इंडेक्स में 58.2 के स्कोर के साथ 60 देशों में से 15 वें स्थान पर है, यह रैंकिंग इसे सर्बिया (59.1) के ठीक नीचे और दक्षिण अफ्रीका (58.1) से ठीक आगे रखती है।[3]

बेहद शर्मनाक और आश्चर्यजनक तो यह है कि अखबार में छपे लेख और समीक्षाओं ने शिक्षक द्वारा किए गए सम्भोग या कह लीजिये बलात्कार और भावनात्मक शोषण को प्रेम संबंध बताकर बड़ी ही चतुराई से फिल्म के अहम मुद्दे की हत्या की

---

[1] फिल्म हरामखोर (13 जनवरी 2017), निर्देशक-श्लोक शर्मा, निर्माता-गुनीत अमरप्रीत कौर, अनुराग कश्यप, फ़िरोज़ अलमीर, अचिन जैन, पात्र-नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्वेता त्रिपाठी, त्रिमाला अधिकारी, मोहम्मद समाद, इरफ़ान खान, hramkhor-navazuddin Siddiqi full movie, youtube channel A R MOVIES.

[2] वही

[3] भारत में बच्चों का यौन शोषण, वेबसाइट- https://ecpat.org/story/india-eco-hindi/

है।किसी भी देश के लिए इससे खतरनाक और क्या होगा कि उसकी आँखें (सिनेमा) और कलम (लेखक) दोनों ही राष्ट्र की जनता को झूठ परोस रहे हों। सेंसर बोर्ड की रही कसर को अंजाम लेख और समीक्षाओं ने दिया। इतना सब होते हुए भी फिल्म ने विद्यालयीय जीवन के यौन उत्पीड़न की समस्या, यौन और स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव, के साथ-साथ स्कूली जीवन के काले सच से अवगत कराया।

‘द प्रिंट’ में छपी ख़बर के मुताबिक - मई 2021 में अकेले चेन्नई में छात्रों ने अपने शिक्षकों के खिलाफ 200 से अधिक यौन शोषण की शिकायतें की हैं। साथ ही 200 शहरों के 1635 स्कूलों में एक ऑनलाइन सर्वे किया गया, जिससे पता चलता है कि सिर्फ 70 स्कूले थीं जिनके पास यौन उत्पीड़न के खिलाफ शैक्षिक क्रियाकलाप के साधन उपलब्ध थे,तो वहीं दूसरी ओर निराशाजनक स्थिति में 307 स्कूलों में यौन हिंसा को रोकने या उनके खिलाफ जागरूक करने के नाम मात्र के भी संसाधन उपलब्ध नहीं थे जो बेहद चिंता जनक स्थिति है।[4]

2014 नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार "भारत मे हर 1 घण्टे में चार रेप यानी हर 14 मिनट में 1 रेप हुआ है दूसरे शब्दों में साल 2014 में देशभर में कुल 36975 रेप के मामले सामने आए हैं"।[5]

माध्यमिक शिक्षा का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि यह विद्यार्थी जीवन के लिए दो स्तिथियों का समावेश है। यह विद्यार्थी के किशोरावस्था का समय होता है। इस अवस्था में किशोरों की आयु लगभग 14 से 18 वर्ष के बीच होती है, जिसके कारण उनका प्राकृतिक तौर पर शारीरिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस अवस्था में कई तरह के मानसिक परिवर्तनों से भी गुजरना होता है। यह स्तर व्यक्त्वि के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, तो दूसरी तरफ शिक्षा में विकल्प चयन और भविष्य निर्माण की दृष्टि से अहम होता है। लेकिन भारतीय माध्यमिक शिक्षा की समस्या के रूप में विद्यार्थी न केवल जूझ रहा है, अपितु मूलभूत करियर काउंसलिंग,स्वास्थ्य और खेल शिक्षा एवं यौन शिक्षा के अभाव में जी रहा है, जो कि उसके व्यक्तित्व और भविष्य निर्माण दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

"तुझे पता है, तेरी वजह से क्या हुआ है? (थप्पड़,थप्पड़) तुझे पता है, तेरी वजह से क्या हुआ है?(थप्पड़,थप्पड़) सुनीता घर छोड़कर चली गई। कहा था ना दूर रहियो मेरे से , पुलिस स्टेशन में झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? तुझे... (थप्पड़) क्या जरूरत थी? सच नहीं बोल सकती थी? क्या तू ... (थप्पड़) बता... (थप्पड़) सच नहीं बोल सकती थी?[6]

---

[4] .Majority of Indian school don’t have means to prevent, combat child sexual abuse, survey finds- Vibha nadig and Jwalika Balaji, 9 march 2022, The Print.

[5] यूनिसेफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिंदी, 8 नवंबर 2019, 06:27pm.

[6] फिल्म हरामखोर (13 जनवरी 2017), निर्देशक-श्लोक शर्मा, निर्माता-गुनीत अमरप्रीत कौर, अनुराग कश्यप, फ़िरोज़ अलमीर, अचिन जैन, पात्र-नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्वेता त्रिपाठी, त्रिमाला अधिकारी, मोहम्मद समाद, इरफ़ान खान, hramkhor-navazuddin Siddiqi full movie, youtube channel A R MOVIES.

पिछले कुछ सालों में स्कूली यौन शोषण की घटना दोगुना तेजी से बढ़ी हैं यौन शिक्षा न केवल यौन हिंसा रोकथाम की दृष्टि से, अपितु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। स्कूलों में लगातार हो रही यौन हिंसा की मूल वजह है विद्यार्थियों के बीच यौन और स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव। ऐसे में भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे किशोरों के बीच यौन और स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निज़ात पाया जाए।

भारतीय माध्यमिक शिक्षा के सारहीन रूप अर्थात यौन शिक्षा के अभाव के कारण भारत में एच.आई.वी. के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, और यह एक वजह काफी है जिसके तहत वर्ष 2017 में यूनिसेफ के द्वारा यह घोषित करना कि - **''भारत में लगभग 1.2 लाख बच्चे और किशोर एच.आई.वी. संक्रमण से पीड़ित हैं''।**[7]

वर्ष 2012-13 में समाज की माँग और दबाव के चलते यौन संबंधों की सहमति में नया कानून बना जिसमें यौन संबंधों की सहमति की आयु सीमा को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट लागू कर बाल यौन उत्पीड़न से संरक्षण की व्यवस्था भी की गई। कानूनों में सख्ती इसलिए की गई, ताकि यौन हिंसा को रोका जा सके। साथ ही देश के भविष्य, युवाओं को एक स्वतंत्र और भय मुक्त वातावरण मिल सके। माना कि श्याम टेकचंद (यौन शोषक) जैसे भेड़ियों से बच्चों को सुरक्षित करना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है किशोरावस्था में यौन संबधों की स्वतंत्रता का सवाल। क्योंकि ये उनका प्राकृतिक अधिकार है।

ज्यादातर देशों में यौन सम्बंध सहमति को 15 से 16 वर्ष के बीच स्वीकार करते हैं और ऐसा करना स्वभाविक भी है, क्योंकि अगर हम पड़ताल करें तो हमें ज्ञात होगा कि यौन संबंध सहमति के कानूनों ने न केवल युवाओं से उनका यौन सम्बन्ध बनाने का अधिकार छीना है, अपितु पितृसत्ता को शक्ति प्रदान की है। 18 वर्ष की आयु तक पिता के अधीन और उसके बाद पति के अधीन ऐसे में सवाल उठता है उनकी खुद की यौन आज़ादी का। जिसे उनसे कानून की आड़ में पितृसत्तात्मक समाज ने छीन लिया है।

वर्ष 2013 से 2016 के बीच आँकड़ो पर नज़र डालें तो पॉक्सो एक्ट के तहत यौन संबंध अनुमति देने के बाद भी 18 फीसदी से 54 फीसदी के बीच बलात्कार के मामले बने। बलात्कार की शिकायत माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई। इसमें से अधिकांश मामले 16 से 18 वर्ष के बीच के थे। (लगभग 90 प्रतिशत) ज्यादातर मामलों में लड़कियों ने अपने प्रेमियों के खिलाफ गवाही देने से इंकार कर दिया। साथ ही लड़कियों ने मुकदमा चलाए जाने का विरोध भी किया। क्योंकि संबंध के प्रति उनकी सहमति थी। और उन्होंने बलात्कार की शिकायत नहीं की। आसान शब्दों में कहें तो तथ्य यह दिखलाते हैं कि लड़कियों के यौन आज़ादी और उनकी प्रगति के विरुद्ध हमेशा की तरह पितृसत्ता और रूढ़िवादी समाज उनके खिलाफ खड़ा है।[8]

यौन शिक्षा के अभाव के चलते जहाँ एक तरफ हमारे देश का भविष्य किशोरावस्था में यौन और भावनात्मक उत्पीड़न को झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने उनसे यौन संबंधों की आजादी को छीन लिया है। ऐसे में जरूरत है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाए, जिससे समाज में पल रहे श्याम टेकचंद जैसे हिंसक शिक्षकों के उपचार की व्यवस्था की जाए, साथ ही शिक्षा को इतना सशक्त बनाया जाए कि किशोरावस्था में जी रहे युवाओं से उनकी यौन संबंधों की स्वतंत्रता न

---

[7] यूनिसेफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिंदी, 8 नवंबर 2019, 06:27pm.

[8] Age of consent: challenges and contradictions of sexual violence laws in India- amita pitre and laxmi lingam, वेबसाइट- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2021.1878656#:~:text=The%20POCSO%20Act%20also%20increased,for%20children%20of%20all%20genders

ही छीनी जा सके। और साथ ही समाज में स्त्री स्वतंत्रता और समानता का सम्मान किया जाए जिससे पितृसत्ता और रूढ़ीवादी समाज का शैक्षिक उपचार कर नए कल की पहल की जा सके।

विशेष संदर्भ सूची

1.फिल्म हरामखोर (13 जनवरी 2017), निर्देशक-श्लोक शर्मा, निर्माता-गुनीत अमरप्रीत कौर, अनुराग कश्यप, फ़िरोज़ अलमीर, अचिन जैन, पात्र-नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्वेता त्रिपाठी, त्रिमाला अधिकारी, मोहम्मद समाद, इरफ़ान खान, hramkhor-navazuddin Siddiqi full movie, youtube channel A R MOVIES.

2. वही

3.भारत में बच्चों का यौन शोषण, वेबसाइट- https://ecpat.org/story/india-eco-hindi/

4.Majority of Indian school don’t have means to prevent, combat child sexual abuse, survey finds- Vibha nadig and Jwalika Balaji, 9 march 2022, The Print.

5.यूनिसेफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिंदी, 8 नवंबर 2019, 06:27pm.

6. फिल्म हरामखोर (13 जनवरी 2017), निर्देशक-श्लोक शर्मा, निर्माता-गुनीत अमरप्रीत कौर, अनुराग कश्यप, फ़िरोज़ अलमीर, अचिन जैन, पात्र-नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्वेता त्रिपाठी, त्रिमाला अधिकारी, मोहम्मद समाद, इरफ़ान खान, hramkhor-navazuddin Siddiqi full movie, youtube channel A R MOVIES.

7. यूनिसेफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिंदी, 8 नवंबर 2019, 06:27pm.

8.amita pitre and laxmi lingam, Age of consent: challenges and contradictions of sexual violence laws in India- वेबसाइट-
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2021.1878656#:~:text=The%20POCSO%20Act%20also%20increased,for%20children%20of%20all%20genders

सहायक सूची

1. फिल्म रिव्यू हरामखोर: ट्यूशन टीचर और नाबालिग स्टूडेंट का गैर-बॉलीवुडिया इश्क केतन बुकरैत thelallantopk10@gmail.comजनवरी 13, 2017 08:04 AM
2. रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1, UP में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम केस, देखें दिल्ली समेत सभी राज्यों के आंकड़े https://www.google.com/amp/s/www.tv9hindi.com/india/rajasthan-registered-highest-number-of-rape-cases-uttar-pradesh-on-top-in-crime-against-women-says-ncrb-825482.html/amp
3. पाठशाला(2010), paathsaala(2010) full movie watch online DVD print download, watch online movie.com.pk 15aug2019,3:25pm

4. Sixteen Full Hindi Movie (2013) | Izabelle Leite, Mehak Manwani, Wamiqa Gabri, Highphill Mathew https://m.youtube.com/watch?v=pXTnU_s3lSI#searching
5. Teree Sang I Ruslaan Mumtaz & Sheena Shahabadi | A kidult Love story | Full HD Video https://m.youtube.com/watch?v=MSJpWw1Ezh4
6. Chauranga 2016 Hindi 720p WEBRip x264 AAC 5 1 ESubs Downloadhub https://m.youtube.com/watch?v=uUyWz4vG76Y
7. School Qtiyapa:padh le Basanti/Youtube channel the viral, fever, 15nov2019,08:33am
8. Kota factory-EP01-Inventory, Youtube channel the viral fever, 15aug2019,02:25am
9. EIC: sex education in India Youtube 2019
10. The viral fever Youtube channel
11. भारतीय शिक्षा की समस्याएं और प्रवृत्तियाँ (अकॉउंट नंबर -683259 आर्ट्स लाइब्रेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी,लाइब्रेरी सिस्टम)
12. गोरकी वक्सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीवी की रिपोर्ट 2018 जारी की 21 सितंबर 2018, जागरण जोश की न्यूज़ (संग्रहित तिथि 27 नवंबर 2018 12:23 a.m.)
13. प्रोफेसर रमेश जैन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन, मंगलदीप पब्लिकेशन, जयपुर इंडिया
14. मिहिर पांड्या, शहर और सिनेमा वाया दिल्ली, वाणी प्रकाशन।
15. पूनम मदन, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा।
16. डॉक्टर अंजली गौतम ,नितिन कटिहार और साधना निगम, लिंग विद्यालय एवं समाज, ठाकुर पब्लिकेशन।
17. कृष्ण कुमार, राज समाज और शिक्षा, राजकमल प्रकाशन।